संख्या-15/20/95-का-4-2005

प्रेषक,

बी0एन0दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4, लखनऊः दिनांकः दिसम्बर 23 , 2005

विषयः- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 02 जनवरी, 1996, दिनांक 28 मई, 1997, दिनांक 20 मई, 1998, दिनांक 02 अगस्त, 1999, दिनांक 27 मार्च, 2003, दिनांक 11 नवम्बर, 2003 एवं दिनांक 02 सितम्बर, 2004 में यह स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये थे, कि सम्पूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए, निर्धारित प्रपत्र पर समय से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को अधियाचन उपलब्ध करा दिये जांय ।

2. आयोग द्वारा अवगत कराया गया है, कि अभी भी उन्हें समय से अधियाचन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जिससे निर्धारित तिथि पर विज्ञापन प्रकाशित कराने में विलम्ब हो रहा है । अतः आपसे निम्नवत् अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2006 हेतु यदि अभी तक अधियाचन प्रेषित न किये गये हों, तो उक्त अधियाचन तत्काल लोक सेवा आयोग को प्रेषित कराने का कष्ट करें ।

(2) भविष्य में, समस्त अधियाचन सुस्पष्ट विवरण, सेवानियमावलियों की प्रति एवं आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण सहित) की स्थिति स्पष्ट करते हुए, समय से लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

3. आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए, अनुरोध है, कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक:- यथोपरि ।

भवदीय,

(बी0एन0दीक्षित)
विशेष सचिव ।

.....2

अधियाचन प्रपत्र-

(प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए)

1-(क) पद का नाम तथा वेतनमान-

(ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ, तो यह पद कब सृजित किया गया है.

(ग) भरे जाने वाले पदों की संख्या-

1- अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए-

2- अनुसूचित जन जाति के लिए -

3- पिछड़ी जाति-

4- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित-

5- सेना के विकलांग एवं सेना के वियोजित अभ्यर्थियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए-

6- अक्षम/विकलांग अभ्यर्थियों हेतु

(1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि के अभ्यर्थियों के लिए-

(2) श्रवणह्रास से ग्रसित अभ्यर्थियों के लिए-

(3) चलन क्रिया सम्बन्धी अशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रसित व्यक्तियों के लिए-

(आरक्षण हेतु पद विशेष को चिन्हित व अधिसूचित किये जाने विषयक शासनादेश/अधिसूचना/विज्ञप्ति का विवरण देते हुए उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न करें)

7- महिलाओं के लिए-

8- सामान्य अभ्यर्थियों हेतु-

टिप्पणी : क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियाँ रोस्टर के अनुसार हैं ? यदि हाँ तो रोस्टर के क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय ।

(घ) यदि यह पद नया नहीं है, तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है -

1- क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गई है-

2- यदि हाँ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है-

3- क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ, तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाये-

4- यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, तो परिस्थितियाँ बताई जाय जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नहीं की जा सकी-

(क) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में है-

(ख) सेवा का नाम यदि कोई हो, जिससे उक्त पद संबंधित है-

(ग) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो संबंधित सेवा-नियमावली में दिखाई गई है-

(घ) यदि नहीं, तो नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या -26/28-65, दिनांक 11 अक्टूबर, 1965 के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाये जाने के लिए आवश्यक विज्ञप्ति की संख्या और दिनांक बतायें-

2- राजपत्रित या अराजपत्रित-

3- यह पद स्थाई है अथवा अस्थाई, यदि अस्थाई है तो वह अवधि जबकि यह पद कायम रहेगा-

4- क्या पद पेंशनयुक्त है अथवा बिना पेंशन का-

5- परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो-

6- कर्तव्य-

7- चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्य ग्रहण करना होगा-

8- वेतनमान क्या बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है, यदि हाँ तो किस हद तक-

9- निर्वाहनिधि-

10- कोई विशेष रियायत जैसे मुक्त क्वार्टर रोशनी पानी -

11- अपेक्षित अर्हतायें-

(क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं-

(ख) अधिमान्य अर्हताएं यदि कोई हो-

(ग) कोई अन्य अर्हताएं-

(घ) यदि उपर्युक्त अर्हताएं किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह हद तक ऐसा किया जा सकता है -

(ङ) क्या समकक्ष अर्हताएं स्वीकार की जायेगी, यदि हाँ तो समकक्ष अर्हताएं बताईए:-

12- आयु सीमायें-

(क) निम्न आयु सीमा-

(ख) उच्च आयु सीमा (यह बताइये कि क्या इस आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता हैं तो कितना)-

13- राष्ट्रीयता-

14- क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं यदि हाँ तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा, उन शर्तों को बताइये जो उनके पक्ष में शिथिल की जायेगी-

15- कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता को उपर्युक्त प्रश्नों के अन्तर्गत नहीं आती -

अधियाचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर . . . . . .

पद नाम . . . . . .